न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 18/2018

अनवान :

1. दुलीचंद पुत्र बलबीर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. बलबीर पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. कृष्णा पुत्री बलबीर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. विमला पुत्री बलबीर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. सरोज पुत्री बलबीर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **वादी**

वकील श्री दिवानसिंह : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 9.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 डीपीएन के खाता सं0 50/54 के मु0नं0 21 के किला नं0 17, 18, 21, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0 जिसमें नहरी 1.418 है0, रास्ता 0.100 है0 मु0नं0 22 के किला नं0 25/2 की 0.139 है0 (नहरी 0.089 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, रास्ता 0.025 है0) मु0नं0 24 के किला नं0 1 ता 15 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 3.795 है0 नहरी रास्ता व खाला, मु0नं0 25 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल क्षेत्रफल 8.488 है0 नहरी कृषिभूमि है जिसमें से नहरी 8.224 है0 गै0मु0रास्ता 0.164 है0 गै0मु0 खाला 0.100 है0 खातेदारी कृषिभूमि प्रतिवादी सं0 1 बलबीर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी दलीचंद, प्रतिवादी सं0 2 ता 4, प्रतिवादी बलबीर के पुत्र पुत्री है। वादी भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का भी जन्म से हक निहित है। परन्तु प्रतिवादी सं0 1 बलबीर परिवार का कर्ता होने के कारण भूमि तन्हा उसके नाम खातेदारी दर्ज है। बंशीलाल जो वादी का सगा भाई है। केशर बेवा गणपत के खोले चला गया था। बंशीलाल को केशर की भूमि उतराधिकार में प्राप्त हो गई है। बंशीलाल की मृत्यु भी हो चुकी है। बंशीलाल के खोले जाने के कारण उसका वादभूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने लोक

अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी दुलीचंद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 4 डीपीएन खाता सं0 50/54 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित नामान्तरकरण रजिस्टर चक 5 दीपलाना प्रदर्श 2 व 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 4 दीपलाना प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये एवं असल प्रति बैयनामा पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 4 डीपीएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 4 दीपलाना प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि बलवीर वल्द रामदयाल के नाम से दर्ज है एवं वादी ने अपने दावा में कृषि भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैत्रक कृषि भूमि होना अंकित किया है एवं वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है। इस प्रकार वादी के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नही हुआ है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 डीपीएन के खाता सं0 50/54 के मु0नं0 21 के किला नं0 17, 18, 21, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0 जिसमें नहरी 1.418 है0, रास्ता 0.100 है0 मु0नं0 22 के किला नं0 25/2 की 0.139 है0 (नहरी 0.089 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, रास्ता 0. 025 है0) मु0नं0 24 के किला नं0 1 ता 15 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 3.795 है0 नहरी रास्ता व खाला, मु0नं0 25 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल क्षेत्रफल 8.488 है0 नहरी कृषिभूमि है जिसमें से नहरी 8.224 है0 गै0मु0रास्ता 0.164 है0 गै0मु0 खाला 0.100 है0 खातेदारी कृषिभूमि प्रतिवादी सं0 1 बलबीर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी दुलीचन्द 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 4 ने राजीनामा में अपना हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में यथावत् रखने हेतु सहमति प्रकट की है, इसलिए वादी दुलीचन्द के नाम 1/5 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् रखी जावे। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही पालना की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
RAS.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 18/2018

अनवान :

1. दुलीचंद पुत्र बलबीर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. बलबीर पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. कृष्णा पुत्री बलबीर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. विमला पुत्री बलबीर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. सरोज पुत्री बलबीर जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री दिवानसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 डीपीएन के खाता सं0 50/54 के मु0नं0 21 के किला नं0 17, 18, 21, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0 जिसमें नहरी 1.418 है0, रास्ता 0.100 है0 मु0नं0 22 के किला नं0 25/2 की 0.139 है0 (नहरी 0.089 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0, रास्ता 0.025 है0) मु0नं0 24 के किला नं0 1 ता 15 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 3.795 है0 नहरी रास्ता व खाला, मु0नं0 25 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल क्षेत्रफल 8.488 है0 नहरी कृषिभूमि है जिसमें से नहरी 8.224 है0 गै0मु0रास्ता 0.164 है0 गै0मु0 खाला 0.100 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 बलबीर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी दुलीचन्द 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 4 ने राजीनामा में अपना हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में यथावत् रखने हेतु सहमति प्रकट की है, इसलिए वादी दुलीचन्द के नाम 1/5 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् रखी जावे। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही पालना की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़